

नागर विमानन मंत्रालय

मांग संख्या 9

नागर विमानन मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	696.51	2709.27	3405.78	781.34	1920.70	2702.04	866.59	1843.72	2710.31	5881.86	721.00	6602.86
<i>वसूलियां</i>	-0.02	...	-0.02	-0.04	...	-0.04	...	...	...	...	...	...
<i>प्राप्तियां</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>696.49</b>	<b>2709.27</b>	<b>3405.76</b>	<b>781.30</b>	<b>1920.70</b>	<b>2702.00</b>	<b>866.59</b>	<b>1843.72</b>	<b>2710.31</b>	<b>5881.86</b>	<b>721.00</b>	<b>6602.86</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	27.27	...	27.27	230.55	...	230.55	36.00	...	36.00	38.95	...	38.95
2. नागर विमानन महानिदेशालय	120.01	37.83	157.84	135.00	79.50	214.50	160.00	19.72	179.72	160.00	50.00	210.00
3. नागर विमानन सुरक्षा व्यूरो	17.26	47.18	64.44	45.00	41.00	86.00	25.00	24.00	49.00	49.00	21.00	70.00
4. विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण	4.00	...	4.00	14.00	...	14.00	14.00	...	14.00	14.00	...	14.00
5. रेल सुरक्षा आयुक्त												
5.01 रेल सुरक्षा आयुक्त	9.98	...	9.98	11.59	...	11.59	11.55	...	11.55	13.00	...	13.00
5.02 रेल सुरक्षा आयोग निधि से पूरा किया जाएगा	...	...	...	-0.04	...	-0.04	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>9.98</i>	<i>...</i>	<i>9.98</i>	<i>11.55</i>	<i>...</i>	<i>11.55</i>	<i>11.55</i>	<i>...</i>	<i>11.55</i>	<i>13.00</i>	<i>...</i>	<i>13.00</i>
6. वास्तविक वसूलियां	-0.02	...	-0.02	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>178.50</b>	<b>85.01</b>	<b>263.51</b>	<b>436.10</b>	<b>120.50</b>	<b>556.60</b>	<b>246.55</b>	<b>43.72</b>	<b>290.27</b>	<b>274.95</b>	<b>71.00</b>	<b>345.95</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>												
7. एअर इंडिया लिमिटेड की टर्नअराउंड योजना	...	2465.21	2465.21	...	1800.00	1800.00	...	1800.00	1800.00	...	650.00	650.00
8. विशेष प्रचालनों के लिए सस्मिडी	405.39	...	405.39	200.00	...	200.00	225.00	...	225.00	0.01	...	0.01
9. क्षेत्रीय संपर्कता योजना	...	...	...	0.10	...	0.10	200.11	...	200.11	1014.09	...	1014.09
10. अतिरिक्त भाग में उड़ान परिचालनों हेतु दो नए वायुयानों की खरीद	...	...	...	...	...	...	...	...	...	4469.50	...	4469.50
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>	<b>405.39</b>	<b>2465.21</b>	<b>2870.60</b>	<b>200.10</b>	<b>1800.00</b>	<b>2000.10</b>	<b>425.11</b>	<b>1800.00</b>	<b>2225.11</b>	<b>5483.60</b>	<b>650.00</b>	<b>6133.60</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
11. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी तथा राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय	41.00	...	41.00	45.10	...	45.10	45.00	...	45.00	50.00	...	50.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</b>												
12. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	71.60	...	71.60	100.00	...	100.00	149.93	...	149.93	73.31	...	73.31
13. पवन हंस लिमिटेड	...	159.05	159.05	...	0.10	0.10	...	...	...	...	...	...
14. भारतीय होटल निगम लिमिटेड	...	...	...	...	0.10	0.10	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</b>	<b>71.60</b>	<b>159.05</b>	<b>230.65</b>	<b>100.00</b>	<b>0.20</b>	<b>100.20</b>	<b>149.93</b>	<b>...</b>	<b>149.93</b>	<b>73.31</b>	<b>...</b>	<b>73.31</b>
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय</b>	<b>112.60</b>	<b>159.05</b>	<b>271.65</b>	<b>145.10</b>	<b>0.20</b>	<b>145.30</b>	<b>194.93</b>	<b>...</b>	<b>194.93</b>	<b>123.31</b>	<b>...</b>	<b>123.31</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>696.49</b>	<b>2709.27</b>	<b>3405.76</b>	<b>781.30</b>	<b>1920.70</b>	<b>2702.00</b>	<b>866.59</b>	<b>1843.72</b>	<b>2710.31</b>	<b>5881.86</b>	<b>721.00</b>	<b>6602.86</b>
<b>ख. योजना परिव्यय</b>												
<b>सामाजिक सेवाएं</b>												
1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	405.39	...	405.39	200.00	...	200.00	225.00	...	225.00	0.01	...	0.01
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	<b>405.39</b>	<b>...</b>	<b>405.39</b>	<b>200.00</b>	<b>...</b>	<b>200.00</b>	<b>225.00</b>	<b>...</b>	<b>225.00</b>	<b>0.01</b>	<b>...</b>	<b>0.01</b>
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
2. नागर विमानन	253.86	...	253.86	339.20	...	339.20	594.04	...	594.04	5632.61	...	5632.61
3. अन्य परिवहन सेवाएं	9.98	...	9.98	11.55	...	11.55	11.55	...	11.55	13.00	...	13.00
4. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	27.26	...	27.26	230.55	...	230.55	36.00	...	36.00	38.95	...	38.95
5. नागर विमानन पर पूंजी परिव्यय	...	2709.27	2709.27	...	1920.70	1920.70	...	1843.72	1843.72	...	721.00	721.00
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>291.10</b>	<b>2709.27</b>	<b>3000.37</b>	<b>581.30</b>	<b>1920.70</b>	<b>2502.00</b>	<b>641.59</b>	<b>1843.72</b>	<b>2485.31</b>	<b>5684.56</b>	<b>721.00</b>	<b>6405.56</b>
<b>अन्य</b>												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	...	...	...	...	...	...	197.29	...	197.29
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>197.29</b>	<b>...</b>	<b>197.29</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>696.49</b>	<b>2709.27</b>	<b>3405.76</b>	<b>781.30</b>	<b>1920.70</b>	<b>2702.00</b>	<b>866.59</b>	<b>1843.72</b>	<b>2710.31</b>	<b>5881.86</b>	<b>721.00</b>	<b>6602.86</b>

(₹ करोड़)

	बजट 2018-2019			बजट 2017-2018			बजट 2016-2017		
	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
<b>ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>									

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			(₹ करोड़)		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	
1. एयर इंडिया लिमिटेड	2465.21	539.73	3004.94	1800.00	508.00	2308.00	1800.00	4630.00	6430.00	650.00	506.00	1156.00
2. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	71.60	1982.40	2054.00	100.00	2443.00	2543.00	149.93	2543.00	2692.93	...	4086.00	4086.00
3. पवनहंस लिमिटेड	159.05	22.18	181.23	0.10	316.50	316.60	...	11.00	11.00	...	9.00	9.00
<b>जोड़</b>	<b>2695.86</b>	<b>2544.31</b>	<b>5240.17</b>	<b>1900.10</b>	<b>3267.50</b>	<b>5167.60</b>	<b>1949.93</b>	<b>7184.00</b>	<b>9133.93</b>	<b>650.00</b>	<b>4601.00</b>	<b>5251.00</b>

10. **अतिरिक्त भाग में उड़ान परिचालानों हेतु दो नए वायुयानों की खरीद:** यह प्रावधान विशेष अभियान के लिए दो नए विमानों की खरीद के लिए है।

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय की स्थापना से संबंधित व्यय के लिए है।

11. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी तथा राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय:** राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय के लिए वजटीय प्रावधान प्राथमिक रूप से विश्वविद्यालय भवन के निर्माण, वेतन तथा अन्य स्थापना व्ययों के लिए है।

2. **नागर विमानन महानिदेशालय:** यह प्रावधान डीजीसीए और इसके क्षेत्रीय और फील्ड कार्यालयों के स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए है। प्रावधान में प्रशिक्षण परियोजनाएं, ईजीसीए परियोजना, डीजीसीए भवन का निर्माण, क्षेत्रीय कार्यालय, संयुक्त प्रशिक्षण अकादमी आदि शामिल हैं। इसमें अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन में भारत के योगदान के लिए किया गया प्रावधान भी शामिल है।

12. **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण:** भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को अनुदान सहायता मौजूदा परियोजनाओं पर उनके द्वारा पहले से किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में है। ये निधियां पेक्वांग हवाईअड्डे के लिए उपलब्ध कराई गई हैं।

3. **नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो:** यह प्रावधान बीसीएएस और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए है। सुरक्षा उपकरणों, आईटी उपकरणों और रेडियोलॉजिकल डिटेक्शन उपकरणों की खरीद के लिए प्रावधान चिह्नित किया गया है। वजटीय प्रावधान बीसीएएस की पुनर्संरचना, मुख्यालय भवन के निर्माण, क्षेत्रीय कार्यालयों और संयुक्त प्रशिक्षण अकादमी के लिए भी किया गया है। बजट का प्रावधान इकाओं के सहयोगी विमानन सुरक्षा कार्यक्रम और विमानन सुरक्षा से संबंधित कॉन्फ्रेंस और शिखर सम्मेलनों के लिए भारत के योगदान हेतु बजट भी प्रदान किया गया है।

4. **विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण:** स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए वेतन के लिए सहायता अनुदान और सहायता अनुदान।

5.01. **रेल सुरक्षा आयुक्त:** यह प्रावधान सीआरएस तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए है जो कि रेल यात्रा और प्रचालनों में सुरक्षा से संबंधित है।

7. **एअर इंडिया लिमिटेड की टर्नअराउंड योजना:** यह प्रावधान एअर इंडिया में सरकारी निवेश के लिए किया जाता है।

9. **क्षेत्रीय संपर्कता योजना:** यह प्रस्ताव 50 हवाईअड्डों के जीर्णोद्धार के लिए तथा पूर्वोत्तर सम्पर्कता हेतु व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण हेतु है।